आयोजनागत / जिला योजना
संख्या–1076 / XXIV(8) / 2005–92 / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढवाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 21, फरवरी,2006

विषय:– **जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में स्थित राजकीय पाली० लोहाघाट हेतु राजस्व पक्ष में धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2054 / नि०प्रा०शि० / जिला योजना / 2005–06 दिनांक 26.9.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए वार्षिक जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के लिए रू0 10.00 लाख का परिव्यय निर्धारित है। इसके सापेक्ष राजकीय पाली० लोहाघाट के लिए लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट द्वारा प्रस्तुत आगणन / प्रस्ताव पर निम्न योजना अनुसार कुल रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क.स.	जनपद का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित आगणन / प्रस्ताव (लाख रू0 में)	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में
1.	चम्पावत	संस्था के कम्प्यूटर लैब में आवश्यक साज–सज्जा छत निर्माण मैटिंग एवं कैंटिन का निर्माण	2.00	2.00
		कीड़ा मैदान का समतलीकरण	4.00	4.00
		महिला छात्रावास की बाउन्ड्रीकरण / अधीक्षक आवास कक्ष / पुराने भवनों की मरम्मत	4.00	4.00
		योग	10.00	10.00

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– इस सबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2203– तकनीकी शिक्षा –104– बहुशिल्प – आयोजनागत–00–91– जिला योजना–00–20–सहायक अनुदान/ अशंदान/ राजसहायता के के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–590/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 8.2.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी/चम्पावत।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक लोहाघाट, चम्पावत।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी चम्पावत, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।